रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2697] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 17, 2016/कार्तिक 26, 1938
No. 2697] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 2016/KARTIKA 26, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2016

का.आ. 3460(अ).—जबकि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (इसके उपरांत आईआरएफ के रूप में संदर्भित) दिनांक 21 दिसम्बर, 1990 के पंजीकरण संख्या बी 1409-मुम्बई के तहत चैरिट कमिश्नर के कार्यालय में पंजीकृत है तथा उसका पंजीकृत कार्यालय मसालावाला भवन, दूसरा तल, 56 टंडेल स्ट्रीट (नॉर्थ), डांगरी, मुम्बई-400009 है तथा अन्य कार्यालय 195/213, एसवीपी रोड, डांगरी, मुम्बई-9 में है।

और जबकि, आईआरएफ एवं उसके सदस्य विशेषत: उक्त संघ के संस्थापक एवं अध्यक्ष डा. जाकिर नाईक अपने अनुयायियों को विभिन्न धार्मिक समुदायों तथा समूहों के बीच धर्म के आधार पर शत्रुता, घृणा एवं वैमनस्य की भावना बढ़ाने अथवा बढ़ाने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित एवं सहायता करते रहे हैं।

और जबकि, केन्द्र सरकार को इस आशय की सूचना मिली है कि डा. जाकिर नाईक एवं आईआरएफ के सदस्यों के विरुद्ध निम्नांकित मामले दर्ज किए गए हैं:-

क. नागपाड़ा पुलिस थाना, मुम्बई ने केरल से गायब हो चुके युवकों में से एक, अशफ़ाक मज़ीद, जो स्टेट ऑफ ईराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) में शामिल हो गया है, के पिता अब्दुल मज़ीद की शिकायत के आधार पर दिनांक 6 अगस्त, 2016 को आईआरएफ का एक कार्मिक आरषी कुरैशी एवं अन्य के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13, 38 के अंतर्गत मामला सीआर सं. 271/16, दर्ज किया है। शिकायत में अब्दुल मज़ीद ने आरोप लगाया है कि अशफ़ाक को अतिवादी बनाने के लिए आईआरएफ के आरषी कुरैशी जिम्मेदार हैं, जिसके कारण अशफ़ाक (आईएसआईएस) में शामिल हो गया।

ख. केरल के पलड़ीवट्टम, पुलिस थाना ने आईआरएफ का एक कार्मिक एवं नवी मुम्बई निवासी आरषी कुरैशी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 153क, 34 एवं विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत दिनांक 16.07.2016 को एक मामला, सीआर सं. 1017/16 दर्ज किया है। केरल पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच घृणा एवं वैमनस्य को बढ़ाने एवं केरल के युवकों, जो गायब हो गए एवं संदेह है कि उन्होंने आईएसआईएस ज्वाईन कर लिया है, का बलात् धर्म परिवर्तन करने में उसकी भूमिका के कारण जुलाई, 2016 में आरषी कुरैशी को गिरफ्तार किया।

ग. सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी पुलिस थाना ने हिन्दू देवताओं के विरुद्ध अपमानजनक वक्तव्य देने के लिए डा. जाकिर नाईक, आईआरएफ के अध्यक्ष, के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 117, 153क, 295क, 298 एवं 34 के अंतर्गत 25.10.2012 को एक मामला, सीआर संख्या 51/12 दर्ज किया। इस मामले में वर्ष 2014 में आरोप पत्र दायर किए गए।

घ. सिंधुदुर्ग जिले के वेनगुर्ला पुलिस थाना ने हिन्दू देवताओं के विरुद्ध अपमानजनक वक्तव्य देने के लिए डा. जाकिर नाईक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 153क, 295क एवं 298 के अंतर्गत 25.10.2012 को एक मामला, सीआर संख्या 51/12 दर्ज किया। इस मामले में वर्ष 2014 में आरोप पत्र दायर किए गए।

ङ. मुम्बई के कुर्ला पुलिस थाना में हिन्दू देवताओं के विरुद्ध अपमानजनक वक्तव्य देने के लिए डा. जाकिर नाईक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 153क, 295क, 505 (2) तथा आईटी एक्ट, 2002 की धारा 66क के अंतर्गत 23.02.2013 को एक मामला, सीआर संख्या 44/2013 दर्ज किया।

और जबकि, केन्द्र सरकार को इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि आईआरएफ के अध्यक्ष, डॉ. जाकिर नाईक द्वारा दिए गए वक्तव्य एवं भाषण आपत्तिजनक एवं विद्वेषकारी प्रकृति के हैं। वह ओसामा बिन लादेन जैसे कुख्यात आतंकवादी की प्रसंशा करता है तथा इसकी घोषणा करता है कि प्रत्येक मुसलमान को आतंकी होना चाहिए। उसने दावा किया कि यदि इस्लाम वास्तव में चाहता तो भारत की 80 प्रतिशत आबादी हिन्दू नहीं होती क्योंकि, 'यदि वे चाहते' तो तलवार के बल पर उन्हें धर्म परिवर्तित करा सकते थे। उसने आत्मघाती बम विस्फोटों को जायज ठहराया, उसने हिन्दू देवताओं के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट की, उसने दावा किया कि स्वर्ण मंदिर उतना पवित्र नहीं है कि जितना कि मक्का और मदीना हैं। उसने कतिपय और भी कई वक्तव्य दिए हैं जो अन्य धर्मों के प्रति अप्रतिष्ठाजनक हैं। और जबकि ऐसे भाषणों एवं वक्तव्यों के माध्यम से वह विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देता है तथा वह भारत में एवं विदेशों के मुसलमान युवकों एवं आतंकवादियों को आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रेरणा देता है तथा इस प्रकार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान आकर्षित किया जाता है। और जबकि ऐसी विभाजनकारी विचारधारा भारत के बहुलतावादी एकता तथा धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के विरुद्ध है तथा इसे भारत के विरुद्ध अप्रीति फैलाने की दृष्टि से देखा जा सकता है जिससे यह विधिविरुद्ध क्रियाकलाप सिद्ध होता है।

और जबकि, आतंकवादी घटनाओं में गिरफ्तार किए गए या आईएसआईएस के साथ सहानुभूति रखने वालों के वक्तव्यों से पता चला है कि वे सभी डा. जाकिर नाईक के चरमपंथी वक्तव्यों से प्रेरित थे, जिससे उसके उपदेशों एवं भाषणों की विध्वंसकारी प्रकृति का पता चलता है।

और जबकि, केन्द्र सरकार का यह विचार है कि आईआरएफ एवं इसके अध्यक्ष डा. जाकिर नाईक की उपर्युक्त गतिविधियां विद्वेषकारी प्रकृति की हैं एवं विभिन्न धार्मिक समूहों एवं समुदायों के बीच सौहार्द की भावना के अनुरक्षण के प्रतिकूल है और यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो इस बात की पूरी संभावना है कि बहुत से युवक एवं युवतियां आतंकवादी कृत्य करने के लिए प्रोत्साहित एवं अतिवादी बन जाएंगे जिससे विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ेगा।

और जबकि, केन्द्रीय सरकार का परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मत है कि इस्लामिक रिसर्च फाउन्डेशन को तत्काल प्रभाव से एक गैर विधिपूर्ण संगठन घोषित करना आवश्यक है। अत: अब, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस्लामिक रिसर्च फाउन्डेशन को विधिविरुद्ध संघ घोषित करती है।

और जबकि, केन्द्र सरकार, उपर्युक्त परिस्थितियों के संबंध में, का यह दृढ़ विचार है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को तुरंत प्रभाव से विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया जाना आवश्यक है; एवं तदनुसार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धारा 3 के परंतुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दिए जाने वाले किसी आदेश के अध्यधीन, शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 11034/17/2016-आईएस-VI]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2016

S.O. 3460(E).—WHEREAS, the Islamic Research Foundation (hereinafter referred to as the IRF) is registered with the office of the Charity Commissioner, vide registration no. B-1409-Mumbai dated the 21st December, 1990 and having its registered office at Masalawala Building, 2nd Floor, 56 Tandel Street (North), Dangri, Mumbai-400009 and another office at 195/213, S.V.P. Road, Dangri, Mumbai-9;

AND WHEREAS, the IRF and its members, particularly, the founder and President of the said Association, Dr. Zakir Naik, has been encouraging and aiding its followers to promote or attempt to promote, on grounds of religion, disharmony or feelings of enmity, hatred or ill-will between different religious communities and groups;

AND WHEREAS, the Central Government has received information that the following cases have been registered against Dr. Zakir Naik and other members of the IRF:-

(a) Nagpada Police Station, Mumbai has registered a case CR No. 271/16, under sections 10, 13 and 38 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) against Arshi Qureshi, an employee of IRF and Others on 6th August, 2016 on the basis of a complaint of Abdul Majeed, Father of Ashfaq Majeed, one of the missing youth from Kerala, who has apparently joined Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). In the complaint, Abdul Majeed alleged that Arshi Qureshi of IRF was responsible for radicalization of Ashfaq, which led the later to join ISIS;

(b) Palrivattam Police Station in Kerala has registered a case, CR No. 1017/16 dated 16.07.2016, under sections 153 A, 34 of Indian Penal Code (IPC), and Section 13 of UAPA against Arshi Qureshi, resident of Navi Mumbai, an employee of IRF. The Kerala Police arrested Arshi Qureshi in this case in July, 2016 for his role in promoting hatred and ill-will between different religious communities and forcible conversion of Kerala youth, who went missing and are suspected to have joined the ISIS;

(c) Sawantwadi Police Station of Sindhudurg District registered a case, CR No. 73/12, under sections 117, 153 A, 295 A, 298 and 34 of the IPC against Dr. Zakir Naik, the President of IRF, for making derogatory statements against Hindu gods and he has been chargesheeted in 2014;

(d) Vengurla Police Station of District Sindhudurg registered a case CR No. 51/12 dated 25.10.2012 under sections 153 A, 295 A and 298 of the IPC against Dr. Zakir Naik for making derogatory statements against Hindu gods and he has been chargesheeted in 2014;

(e) Kurla Police Station of Mumbai registered a case CR No. 44/2013 dated 23.02.2013 under sections 153 A, 295 A, 505(2) of the IPC and 66 A of the Information Technology Act, 2002 against Dr. Zakir Naik for making derogatory statements against Hindu gods;

AND WHEREAS, the Central Government has received information that the statements and speeches made by Dr. Zakir Naik, the President of IRF are objectionable and subversive in nature as he has been extolling the known terrorists like Osama Bin Laden, proclaiming that every muslim should be a terrorist and claiming that if Islam had indeed wanted, eighty percent of Indian population would not have remained Hindus as they could have been converted "if we wanted" by sword, justifying the suicide bombings, posting objectionable comments against Hindu gods, claiming that Golden Temple may not be as sacred as Mecca and Medina and making other statements which are derogatory to other religions;

AND WHEREAS, through such speeches and statements, Dr. Zakir Naik has been promoting enmity and hatred between different religious groups and inspiring muslim youths and terrorists in India and abroad to commit terrorist acts, thus attracting punishment under Section 153 A of the IPC;

AND WHEREAS, such divisive ideology is against India's pluralistic and secular social fabric and it may be viewed as causing disaffection against India and thereby making it an unlawful activity;

AND WHEREAS, statements of some terrorists arrested in the terrorist attack incidents or arrested ISIS sympathisers revealed that they were inspired by the fundamentalist statements of Dr. Zakir Naik, clearly indicating the subversive nature of his preachings and speeches;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the IRF and its President Dr Zakir Naik are highly inflammatory in nature and prejudicial to the maintenance of harmony between various religious groups and communities and if urgent steps are not taken there is every possibility of many youth being motivated and radicalized to commit terrorist acts leading to promoting enmity between different religious groups;

AND WHEREAS, the Central Government, having regard to the above circumstances, is of the firm opinion that it is necessary to declare the Islamic Research Foundation (IRF) as an unlawful association with immediate effect.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Islamic Research Foundation to be an unlawful association;

AND WHEREAS, the Central Government, having regard to the above circumstances, is of the opinion that it is necessary to declare the Islamic Research Foundation as an unlawful association with immediate effect; and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 11034/17/2016-IS-VI]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2016.11.17 12:28:41 +05'30'